



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31122020-224040
CG-DL-E-31122020-224040

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4176]
No. 4176]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 29, 2020/पौष 8, 1942
NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 29, 2020/PAUSHA 8, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2020

का.आ. 4760(अ).—केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि उत्तर प्रदेश राज्य के आजमगढ़ जिले में NH233 के कि.मी. 121.8 से कि.मी.180.42 (क्लेक्ट्रेट आजमगढ़) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् मुख्य राजस्व अधिकारी को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के आजमगढ़ जिले में NH233 के कि.मी. 121.8 से कि.मी.180.42 (कलेक्ट्रेट आजमगढ़) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश		जिले का नाम: आजमगढ़			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: बुरहानपुर					
गांव का नाम: दसवां खास					
1	289	निजी(निजी)	कृषिक	0.0384000(हेक्टेयर)	0.0384000
2	290	निजी(निजी)	कृषिक	0.0070000(हेक्टेयर)	0.0070000
गांव का नाम: लोहरा					
1	1969	निजी(निजी)	कृषिक	0.1508000(हेक्टेयर)	0.1508000
2	2111/3302	निजी(निजी)	कृषिक	0.0027000(हेक्टेयर)	0.0027000
3	2156	निजी(निजी)	कृषिक	0.0033000(हेक्टेयर)	0.0033000
गांव का नाम: महरूपुर					
1	249	निजी(निजी)	कृषिक	0.1150000(हेक्टेयर)	0.1150000
गांव का नाम: मोहम्मद पुर					
1	123	निजी(निजी)	कृषिक	0.0250000(हेक्टेयर)	0.0250000
2	127	निजी(निजी)	कृषिक	0.0256000(हेक्टेयर)	0.0256000
3	138	निजी(निजी)	कृषिक	0.0237000(हेक्टेयर)	0.0237000

गांव का नाम: सर्कार पट्टी					
1	91m	निजी(निजी)	कृषिक	0.0170000(हेक्टेयर)	0.0170000
कुल				0.4085	0.4085

[फा. सं. NHAI/11013/01/2010/LA-Notif/BOT/UP-Varanasi/3A1]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th December, 2020

S.O. 4760(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH233 in the stretch of land from Km 121.8 to Km180.42 (Collectorate Azamgarh) in the district of AZAMGARH in the state of UTTAR PRADESH, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Chief Revenue Officer in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH233 in the stretch of land from NH233 (Collectorate Azamgarh) in the district of AZAMGARH in the state of UTTAR PRADESH

State: UTTAR PRADESH			District: AZAMGARH		
Sno	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature Of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Burhanpur					
Village: Dasawan Khas					
1	289	Private	Agriculture	0.0384000(Hectare)	0.0384000
2	290	Private	Agriculture	0.0070000(Hectare)	0.0070000
Village: Lohra					
1	1969	Private	Agriculture	0.1508000(Hectare)	0.1508000
2	2111/3302	Private	Agriculture	0.0027000(Hectare)	0.0027000
3	2156	Private	Agriculture	0.0033000(Hectare)	0.0033000
Village: Maharupur					
1	249	Private	Agriculture	0.1150000(Hectare)	0.1150000
Village: Mohammad Pur					
1	123	Private	Agriculture	0.0250000(Hectare)	0.0250000

2	127	Private	Agriculture	0.0256000(Hectare)	0.0256000
3	138	Private	Agriculture	0.0237000(Hectare)	0.0237000
Village: Sarkar Patti					
1	91m	Private	Agriculture	0.0170000(Hectare)	0.0170000
Total				0.4085	0.4085

[F. No. NHAI/11013/01/2010/LA-Notif/BOT/UP-Varanasi/3A1]

RAJESH GUPTA, Director